न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम, व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी

स्वत्व विभाजन वाद सं0 – 91/19

03.10.2023 वादी की ओर से पैरवी नहीं है। वाद पुकारा गया, पुकार पर वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि इस वाद में वादी को सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु वादी द्वारा अपेक्षिताएं दाखिल नहीं किया गया। वादी को अपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु न्यायालय द्वारा बार–बार निर्देशित करते हुए पर्याप्त समय दिया गया है, परंतु वादी द्वारा उक्त अपेक्षिताएं अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। वादी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे है तथा उनकी तरफ से न ही कोई हाजरी दाखिल की जा रही है और न ही समयावेदन दाखिल किया गया है। वादी को अंतिम अवसर भी दिया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी द्वारा लगातार न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की जा रही है। पुनः आज भी वादी की ओर से न ही हाजरी दाखिल की गई और न ही समयावेदन दाखिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी द्वारा लगातार न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अपेक्षिताएं न दाखिल करने के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को जमा करें।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, प्रथम